न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/118

1. किरण मीणा पत्नी सूरजप्रकाश उम्र वर्ष निवासी ग्राम बाढ करोल टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर जगतपुरा जयपुर (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

1. बाबुलाल मीणा पुत्र मगेंजराम मीणा निवासी प्लाट सं0 20/139 कावेरी पथ मानसरोवर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
2. भंवरलाल मीणा पुत्र श्री मगेंजराम मीणा निवासी प्लाट सं0 20/139 कावेरी पथ मानसरोवर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
3. मंजू देवी पुत्री श्री मगेंजराम मीणा निवासी प्लाट सं0 20/139 कावेरी पथ मानसरोवर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)
4. सरिता यादव पत्नी लीलाराम यादव निवासी प्लाट स0 47 हरि नगर सी बी आई कालोनी के पास सांगानेर जगतपुरा जयपुर (राज0)
5. मुरारीलाल मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी आदर्श नगर कोलेज रोड गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर (राज0)
6. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा—75 भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28—03—2024 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण सं० 40/2024 उनवानी बाबुलाल बनाम किरण व अन्य

उपस्थित—

1. श्री रामावतार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री गोगराज चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक—24.07.2024

1. यहअपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.03.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरणके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 429/237 रकबा 0.16 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 है0 के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा आवेदन

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 28.03.2024 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.03.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 28.03.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर स्पष्ट रूप से अकित है कि डीजीपीएस मशीन द्वारा सीमांकन किया गया है तथा किसी भी मुस्तकिल बिन्दु के आधार पर कोई सीमांकन नही किया गया। मात्र उक्त मशीन के द्वारा बिना किसी मुस्तकिल बिन्दु के मौके के अनुसार ही सीमांकन किया गया जो कानून मे प्रावधानो अनुसार अवैधानिक है। किसी भी सीमांकन करने से पूर्व पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर सर्कल के द्वारा पुराने नक्शे मे दर्शित मुस्तकिल बिन्दु के आधार पर ही सीमांकन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात ही डीजीपीएस मशीन के द्वारा चिन्हिकरण किया जाता है । इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के बाहर जाकर उक्त सीमांकन की गयी तथा उक्त सीमांकन के आधार पर अपीलान्ट को बगैर सुने तथा बिना जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये उक्त आलोच्य आदेश पारित कर प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतो की अवहेलना की है जो काबिले निरस्त योग्य है । सीमांकन किये जाने से पूर्व भी अपीलार्थीया को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया तथा बगैर नोटिस के ही डीजीपीएस मशीन के द्वारा सीमांकन किया गया जो न्यायिक व प्राकृतिक सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सीमांकन किये जानें से पूर्व पडौसी खातेदारान को नोटिस दिया जाकर उनकी उपस्थिति मे सीमांकन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रावधानो के बाहर जाकर तथा बिना मुस्तकिल बिन्दु के मौका पर सीमांकन किया जाकर उक्त सीमांकन के आधार पर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो काबिले निरस्त योग्य है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत –3 की पडोसी खातेदार है तथा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि 428/237 के पूर्वी ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करीब 20 वर्ष पुराना है तथा अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट की कृषि आराजीयात के पूर्वी ओर रेस्पोडेन्टस की कृषि आराजीयात 429/237 है उक्त आराजीयात का साबिक खसरा नं0 237 था जिसका अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के मध्य आपसी सहमति से मौके पर काबिज अनुसार तहसीलदार जी के समक्ष दिनाक 09–09–2021 को सहमति से तकासमा किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट तकासमा किये जाने से पूर्व ही अपने हिस्से पर पुख्ता पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण पूर्व से ही हो रखा है। उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए एक दिखावटी रूप से डीजीपीएस मशीन से सीमांकन कराते हुए एक ही दिन मे अपीलान्ट को बिना सुने उक्त आलौच्य आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल कारित की है । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय जिला जयपुर निर्णय दिनांक 28.03.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 429/237 रकबा 0.16 है0 कुल किता

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1 कुल रकबा 0.16 है0 के पत्थरगढी किये जाने हेतु विधिवत् विधिक प्रकिया के तहत् निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। फिर भी किसी पडौसी काश्तकार खातेदार को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भूमि मौके के अनुसार कम या ज्यादा है तो वह राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत् अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम टोडी रमजानीपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 429/237 रकबा 0.16 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 28.03.2024 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 429/237 रकबा 0.16 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 है0 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की शामलाती भूमि है एवं प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् उभयपक्षकरान् की उपस्थिति में पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जो कि विधिसम्मत है। फिर भी अगर अपीलांट को आपत्ति है तो वह अपनी खातेदारी भूमि की विधिक प्रकिया के तहत आवेदन कर पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितिय सांगानेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.03.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर